20/5/19 आज पत्रावली पेश हुई। वादी का वकील
वादी उप० नहीं आये। बार-बार आवाज लगायी गई।
कोई उपस्थित नहीं आया। नाही कोई व्यक्ति
बोल रहा उपस्थित आया। ऐसी स्थिति में वादी के
वाद की आगे कार्यवाही रोकी रखते हुए
वाद अदम पैरवी खारिज किया
जाता है फैसला तुरन्त हो जाने से मुकदमा
वाद तकमील लगाया जाये।

Scanned by CamScanner